भारत में बाल–श्रम की समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 मनोज कुमार मिश्र*

सामंतवादी और पूंजीवादी समाज में बाल–मजदूरों की पौध निरन्तर पनपती रही है। भारत जैसे विकासशील देश में आज भी करोड़ों की संख्या में बच्चे अभाव, अशिक्षा और कुपोषण का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे–तैसे 7–8 वर्ष की आयु तक पहुंचते ही इन बच्चों का जीवन संघर्ष में जुट जाता है। स्कूल जाने के स्थान पर वे किसी उस्ताद या मिस्त्री से काम सीखने में लग जाते हैं या घर चले आ रहे पुश्तैनी काम में सहयोग देने लगते हैं। काम सीखने के दौरान इन बच्चों को नाममात्र की मजदूरी दी जाती है। भारत सरकार ने समय–समय पर अनेक कानून बनाये किन्तु किसी ने उनकी परवाह नहीं की। इसी का परिणाम है कि **भारत में बाल मजूदरों की संख्या संसार के किसी देश की अपेक्षा अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के बाल कोष के अनुसार 5–14 वर्ष की आयु के साढ़े तीन करोड़ बच्चे मजदूरी में लगे हुए हैं। इतने अधिक बाल मजदूरों में उनकी संख्या भी कम नहीं है जिन्हें बंधुआ मजदूर' कहा जाता है।** इन्हें न्यूनतम् रोटी–कपड़ा, देकर मजदूरी करायी जाती है।

छोटे कारखाने, ठेकेदार, दुकानदार, इन बच्चों को अपने यहां नौकरी इसलिए देते हैं कि वयस्क मजदूरों की अपेक्षा इन्हें वेतन बहुत कम देना पड़ता है। सरकार ने जोखिमपूर्ण और खतरनाक व्यवसायों में बाल–मजदूरी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए संकल्प लिया था। जिसके कारण बाल–श्रम कानून में कई परिवर्तन भी किये गए, किन्तु एक प्रथा मानवीय और कानूनी आधार पर उचित न होने के बावजूद सर्वत्र व्याप्त है। **इस समस्या के मूल में निर्धनता और अज्ञानता है। दुर्भाग्य से समाज में यह मानसिकता लम्बे समय से बनी हुई है कि घर में जितने हाथ अधिक होगें उतना अधिक कमाऐंगे और घर की जरूरतों को पूरा करेगें।** मैं ऐसे कई परिवारों का जानता हूँ जिनका पुरूष मुखिया चौकीदारी करता है, रिक्शा चलाता है अथवा अन्य कोई छोटा–मोटा काम करता है, उसकी पत्नी, लड़के–लड़कियां घरों में बर्तन मांजने, कपड़े धोने और सफाई का काम करती हैं। इन परिवारों में पांच–छः बच्चें होना आम बात है। बच्चे या तो स्कूल जाते ही नहीं और यदि जाते हैं तो 3–4 कक्षा की पढ़ाई करके स्कूल जाना बन्द कर देते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इस उम्र में बच्चों से मजदूरों की भांति काम लेना अभिशाप है। यह उम्र बच्चों के व्यक्तित्व

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गनपत सहाय पी0जी0 कालेज, सुलतानपुर (उ0प्र0)

निर्माण की उम्र होती है। बिना पढ़े–लिखे ही चंद रूपयों के लिए बचपन के बहुमूल्य समय को रोजगार में व्यतीत कर देने से बच्चों की प्रगति का रास्ता रूक जाता है। उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित नही हो पाती है जिससे वे मजदूरी के मकड़जाल से निकलकर आगे बढ़ने की महत्वकांक्षा खो देते हैं। ये बाल–मजदूर अपने गरीब परिवारों की रोजी–रोटी में हिस्सा बंटाने के लिए प्रतिदिन 10 से 14 घण्टे का कठिन परिश्रम करते हैं। **इन बाल मजदूरो में लड़कियों की संख्या भी कोई कम नहीं है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल बाल–मजदूरों में 33 प्रतिशत लड़कियों की संख्या है।**

कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें बाल–मजदूरों की बड़ी संख्या काम करती है। तमिलनाडु में शिवकाशी में अतिशबाजी बनाने का उद्योग है। मिर्जापुर (उ0प्र0) में गलीचा बुनने के उद्योग में, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में हजारों बाल–मजदूर काम करते हैं। **कुछ उद्योग बाल–मजदूरों पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं और उनके कोमल शरीर को अनेक रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए के लिए कितने ही कानून बने हैं, किन्तु किसी कानून ने कारगर ढ़ंग से इनकी सहायता नहीं की।** ऐसे उद्योगों के मालिकों को बाल–मजदूर बड़े सस्ते में मिलते हैं और कुशलता में वे व्यस्त मजदूरों से कम नहीं होते इस देश में यह मान्यता थी कि परिवार में पैतृक ढंग से जो काम होता आया है उसे बच्चे बड़ी सुगमता से सीख जाते हैं। बचपन से ही परिवार का मुखिया अपने पास बैठाकर अपनी निगरानी में उसे यह काम सिखाता है। ऐसे कामों में पढ़ाई–लिखाई का विशेष महत्व नहीं होता, हाथ से काम करने वाले कुटीर उद्योग भी बड़े–बड़े उद्योगों का रूप ले रहे हैं। इनके लिए बड़ी पूंजी का निवेश होने लग गया है।

बाल–मजदूर वयस्क मजदूरों की भांति संगठित भी नहीं हो सकते, अपनी यूनियन नहीं बना सकते। इन्हें काम तो भरपूर करना पड़ता है वेतन बहुत कम मिलता है और अपने मालिकों का दुर्यव्यहार तथा शारीरिक दण्ड भी भुगतान पड़ता है। **1986 में बनाया गया बाल–मजदूरी (प्रतिबन्ध और नियमन) कानून बाल–मजदूरों के लिए काम की स्थितियां और काम करने के घंटों का नियमन तो करता है किन्तु वह भी न्यूनतम वेतन की बात नहीं करता।** यह कानून बाल–मजदूरों को आतिशबाजी बनाने, रासयनिक उद्योगों में काम करने जैसे घातक कामों में लगाने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाता है। कारखानों, व्यावसायिक संस्थानों, खेती में काम करने के सम्बन्ध में बाल–मजदूरी के लिए भी कानून बने हुए हैं, किन्तु ऐसे सभी कानूनों का कोई प्रभात नहीं हुआ है। **सरकारी लापरवाही इस सीमा तक है कि बच्चों से काम लेने वालों से कोई ये नहीं पूछता कि इस सम्बन्ध में बने कानूनों की उन्हें जानकारी है भी या नहीं। बाल संरक्षण हेतु विभिन्न संस्थायें, एजेन्सियां**

एवं बनायी गयी कमेटियां जो कि जनपद, व राज्य स्तर पर कार्य करती हैं महज खानापूर्ति में लगी हुई हैं। इसमें नियुक्त विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 'मानवाधिकार सतर्कता समिति की ओर से 1995 और 1996 में देश के कुछ राज्यों का सर्वेक्षेण किया गया। उसने पाया कि इन राज्यों में इन सभी कानूनों का पूरी तरह उल्लघंन किया गया। बाल–मजदूरी के सम्बन्ध में हमारी मानसिकता भी बहुत उत्तरदायी है। अपने सम्मुख गैरकानूनी काम और व्यवस्था की धज्जियां उड़ते देखकर हम उदासीन रहते हैं। प्रतिरोध का भाव, गलत काम को गलत कहने का साहस जैसे पूरी तरह विलीन हो चुका है। हम अपनी आखों के सामने होते हुए अन्याय और अत्याचार से कन्नी काटकर निकल जाते हैं। बाल मजदूरी को लेकर यह बात सर्वत्र दिखायी देती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद '24' के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों व खानों में जोखिम भरे काम करना अपराध है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इसके लिए राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों द्वारा बच्चों का शोषण रोकने की जिम्मेदारी सरकार पर डाली गयी है। संविधान के अनुच्छेद '39 'ड0' और 'च' में कहा गया है कि–**''राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालित करेगा कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दूरूपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में जाना पडे, जो उन्ही आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।''**

बच्चों के सब प्रकार के विकास के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समय–समय पर अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य तथा बौद्धिक विकास के लिए वर्ष 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में घोषित किया। बाल मजदूरी की समस्या विश्वव्यापी है। जिन देशों ने इस समस्या को आंशिक या पूरी तरह हल कर लिया है, उनका यह निष्कर्ष कि जब तक प्राथमिक शिक्षा को बच्चे का मौलिक अधिकार मानकर अनिवार्य नहीं किया जायेगा तब तक इस समस्या का निदान नहीं निकलेगा। अनेक राज्यों में प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की बड़ी संख्या है। उत्तर–प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और मेघालय में 15 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर काम धंधों में लग जाते है। **सर्व–शिक्षा अभियान की योजना 2001 से प्रारम्भ हुई। उद्देश्य यह था कि सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को 2007 तक प्राप्त कर लिया जाएगा, किन्तु जो प्रगति हुई है उससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है।**

यह अच्छी बात नहीं है कि जिस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता जता रही है उस पर राज्य सरकारें कोई उत्साह दिखाने से भी बच रही हैं। आखिर इन स्थितियों में प्रधानमंत्री के इस कथन

में कुछ सार कैसे नजर आ सकता है कि बाल–श्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्र ने सत्य निष्ठा से संकल्प लिया है ? यह तो सत्य और निष्ठा से हीन संकल्प हुआ।

बाल–श्रम पर केवल इसलिए रोक नहीं लगनी चाहिए कि इससे सभ्य समाज के हमारे दावे का खण्डन होता है, बल्कि इसलिए भी कि हम उन हालात में महाशक्ति कहलाने के पात्र नहीं हो सकते जब तक दुनिया में सबसे ज्यादा बाल–मजदूर हमारे यहां हों। यद्यपि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से नौकरों की तरह काम लेने के दण्डनीय अपराध बनाया गया है, लेकिन सामाजिक चेतना के अभाव में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ किसी कार्यवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती। बाल–श्रम रोकने के मामले में सामाजिक चेतना उन अभिभावकों में तो आनी ही चाहिए जो अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं, समाज के उस तबके के बीच भी दिखनी चाहिए जो अपने आस–पास तमाम बच्चों को नौकरों की तरह कार्य करते देखता है और फिर भी मौन धारण किये रहता है। **बाल–श्रम एक सामाजिक बुराई है और ऐसी बुराईयों का निदान कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। सरकार कितने ही कठोर कानून क्यों न बना दें, बाल–श्रम सरीखी बुराईयों को दूर करने के लिए समाज का सक्रिय सहयोग तो चाहिए ही होगा।** बाल–श्रम पर रोकथाम के लिए सरकार जो कुछ कर रही है वह तो सामने है, लेकिन प्रश्न यह है कि समाज अपने बीच व्याप्त और पोषित इस कुप्रथा का दूर करने के लिए क्या कर रहा है?

सन्दर्भ सूचीः–

1. राजेश्वर एण्ड श्रीधर : 'ए चेजिंग फेस ऑफ बीड़ी इण्डस्ट्रीज–ए– स्टडी इन कर्नाटक', 2002 पृ0सं0–4023।
2. कुलश्रेष्ठ, जे0सी0, चाइल्ड लेबर, इण्डिया, एशिया पब्लिकशिंग, नई–दिल्ली, 1978, पृ0सं0–25।
3. त्रिपाठी, एस0के0 : चाइल्ड लेबर 'इण्डिया' डिस्कवरी पब्लिकशिंग नई–दिल्ली, पृ0सं0–21।
4. मेहता, किरण : भारत में बीड़ी श्रमिक को मिले जीविकोपार्जन के नये साधन : श्रम की दुनिया', अंक 16, 2002, पृ0सं0–2002।
5. लाल, मनोहर : भारत में असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा, 'श्रम समाचार, श्रम मंत्रालय', भारत सरकार, नई–दिल्ली, 2004, पृ0सं0–17।
6. दैनिक जागरण, हिन्दी समाचार पत्र, अंक : 11 अक्टूबर 2006।
7. डॉ0 सिंह, महीप : बाल–मजदूरी का अभिशाप, लेख, दैनिक जागरण, हिन्दी समाचार पत्र, अंक 23 नवम्बर 2006।
